

नए कानून में
कितनी धाराएं

नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं। जबकि नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इसके पहले बाले कानून में 167 प्रावधान थे।

ईश्वर ने हमारा विश्वास

राष्ट्रीय नवीन मेल

कानून के प्रकार: भारतीय कानूनी प्रणाली भारत में विभिन्न प्रकार के कानूनों पर प्रकारा डालती है, जिनमें अपाराधिक कानून, सिविल कानून, सैविधानिक कानून, पारिवारिक कानून और कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून शामिल हैं।

1248 कानून हैं भारतीय कानून
द्विदस्था में हमारे पासकानून के
प्रमुख स्रोत

भारत में कानून के मुख्य स्रोत संविधान, विधान, विधायक, पंचपार्षगत कानून और अदालतों के निर्णय पर आधारित कानून हैं। संसद, राज्यों के विधान मंडल और केंद्रीय संसद प्रदेशों की विधानसभा द्वारा विधान बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कई कानून ऐसे हैं जिन्हें 'उपकानून' माना जाता है।

देश में अनृत महात्मा काल चल रहा है समुद्र मंथन के विषय में सभी जानते हैं कि इस मंथन में कई दिव्य शक्तियाँ और वस्तुएं जगतकल्पणा के लिए निकली थीं किंतु इसी क्रम में वर्ष 2023 में हुए कानून मंथन में जनकल्पणा के लिए बहुत कुछ अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया था लेकिन इस बात पर कुछ तो संतोष करना पड़ रहा है कि कानूनी परिषेक्ष्य में भील का पत्थर सिद्ध होगा। तीन नए कानून संहिता में भारतीय शब्द जुड़ा है यह हमें गौरवान्वित करता है। कानून में हुआ थोड़ा बदलाव व्यायिक पदाधिकारी पुलिस जांच अधिकारियों और अधिकारियों की कार्य प्रणाली को और अधिक गतिशील कर देगा शायद इस वाक्य से निजात मिलेगा कि कोई कानून को जल्द निष्पादित नहीं होते, कानून संहिता में बदलाव से जनता जनर्दन को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी कि कोई कानून को ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सजा के प्रावधानों में मनोवैज्ञानिक स्वरूप की कमी है इन कानून के संचालित होने से व्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों में सक्रियता बढ़ जाएगी, अफसरशाही से थोड़ी राहत मिलेगी। इश्वरखोटी में भी कमी आएगी, गवाह और साक्ष्य कुछ सीमा तक सुरक्षित हो सकते हैं, दोषी व्यक्ति बेचैन और प्रताड़ित होंगे इस बदलाव से।

आज से बदलेगा कानून, हत्या पर नई धारा-नई सजा
क्यों नहीं मिलेगी अब तारीख पर तारीख

कैसा है इन बड़े कानूनों में बदलाव

ये तीन कानून भारत की पुलिस और न्याय व्यवस्था की धूम हैं। अपाराध संबंधी विवेचन से लेकर कानूनी प्रक्रिया तक इनका उपयोग होता है। सामाजिक नागरिक भी इन कानूनों की पाराओं से परिचित हैं और प्रमुख अपाराधों से संबंधित धाराओं के बारे में जागरूक हैं। लेकिन इस बड़े बदलाव के बारे में बड़ा बदलाव देखने निर्णय। इन तीन प्रमुख कानूनों में बदलाव कुछ इस तरह होगा।

1. भारतीय न्याय संहिता 2023 : भारतीय न्याय संहिता 2023 जो नया कानून है, ये भारतीय दंड संहिता 1860 (Indian Penal Code) की जगह लेगा। खास बात ये है कि Indian Penal Code -1860 में 511 धाराएं थीं, लेकिन नए कानून भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ़ 358 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह की धारा हटा दी गयी है, लेकिन भारत की संप्रभुता एकता और असंवित अपाराध के अंतर्गत परिवारित किया गया है। नावालिंग से सम्बद्धिक दुष्कर्म और मांविंग जैसे अपाराध में योगीता सजा का प्रावधान किया गया है।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 : भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता- 1973 Criminal Procedure Code (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 ले लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में Criminal Procedure Code (CrPC) की 484 धाराओं के मुकाबले 531 धाराएं हैं। कानून में किए गए बदलाव अपाराध की विवेचन से लेकर न्यायिक प्रक्रिया में तीनी लाएंगे। इसमें मामलों के तरह समय में जांच और सुनवाई का प्रावधान किया गया है। खास बात ये है कि अपराध से जुड़े मामलों में पीड़ितों के बायन की धारा 376 के अंतर्गत आता था। अब ये धारा 63 के अंतर्गत जाना जाएगा और धारा 64 में सजा के प्रावधान हो जाएगा। समृद्धिक दुष्कर्म के मामले धारा 70 के अंतर्गत आएंगे।

3. भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 : ये नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) 1872 की जगह हो रहा है। जबकि Indian Evidence Act में 167 धाराएं थीं। अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य पेश किए जा सकेंगे। जेम्स स्पार्क्स, वेबसाइट, मेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, कंप्यूटर, डिजिटल रिकार्ड, ईमेल और सर्वेर लाइन को पेश और स्वीकृत किया जा सकेगा। इनकी मायता कागज में रखे जाने रिकार्ड के समकक्ष होगी। नए कानून के तहत केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और प्रकरण से संबंधित सभी जानकारी का डिजिटल रिकार्डेशन किया जाएगा।

4. भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 : ये नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) 1872 की जगह हो रहा है। जबकि Indian Evidence Act में 167 धाराएं थीं। अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य पेश किए जा सकेंगे। जेम्स स्पार्क्स, वेबसाइट, मेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, कंप्यूटर, डिजिटल रिकार्ड, ईमेल और सर्वेर लाइन को पेश और स्वीकृत किया जा सकेगा। इनकी मायता कागज में रखे जाने रिकार्ड के समकक्ष होगी। नए कानून के तहत केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और प्रकरण से संबंधित सभी जानकारी का डिजिटल रिकार्डेशन किया जाएगा।

5. भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 : ये नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) 1872 की जगह हो रहा है। जबकि Indian Evidence Act में 167 धाराएं थीं। अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य पेश किए जा सकेंगे। जेम्स स्पार्क्स, वेबसाइट, मेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, कंप्यूटर, डिजिटल रिकार्ड, ईमेल और सर्वेर लाइन को पेश और स्वीकृत किया जा सकेगा। इनकी मायता कागज में रखे जाने रिकार्ड के समकक्ष होगी। नए कानून के तहत केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और प्रकरण से संबंधित सभी जानकारी का डिजिटल रिकार्डेशन किया जाएगा।

जस्टिस
धनंजय
यशवंत चंद्रचूड
मुख्य न्यायाधीश

नए कानूनों की सारांश करते हुए बोल मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) चंद्रचूड ने कहा कि नए अधिनियम ने कानूनों ने अपाराधिक न्याय पर भारत के कानूनों तो कर्तव्य की दिलचस्पी के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया।

सीजेआई चंद्रचूड ने भारत के नए अपाराधिक न्याय कानूनों की सदाहना की

सीजेआई ने कहा कि, 'संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और अगे बढ़ रहा है।' भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रश्नों के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया।

सीजेआई ने कहा कि, 'संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और अगे बढ़ रहा है।' भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रश्नों के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया।

सीजेआई ने कहा कि, 'संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और अगे बढ़ रहा है।' भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रश्नों के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया।

सीजेआई ने कहा कि, 'संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और अगे बढ़ रहा है।' भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रश्नों के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया।

सीजेआई ने कहा कि, 'संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और अगे बढ़ रहा है।' भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रश्नों के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया। नए कानूनों के प्रभावों को जानने के लिए एक अद्वितीय विवेचन किया।

सीजेआई ने कहा कि, 'संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और अगे बढ़ रहा है।'

ये हैं खास तथ्य

- » दुष्कर्म में पीड़ित की मृत्यु व अपेक्षा पहले से हत्या में सायाचारिता का दूसरी हत्या में उत्कृष्ट या मृत्युन्दूर्दल लेने की सुविधा तय
- » दुष्कर्म-छेदखाली पीड़ित के बायन मरणालंग द्वारा लेने की सुविधा तय
- » गवाह या वार्ता का वायन अदालत संविधान द्वारा लेने की सुविधा तय
- » गवाह या वार्ता का वायन अदालत संविधान द्वारा लेने की सुविधा तय
-



ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कृष्णित् दुःखभाग भवेत् । ॐ शान्तिः शान्तिः ॥

राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर साल एक जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस डाक्टर बिधान चंद्र राय के चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए मनाया जाता है। इस दिन सरकार की ओर से जिला स्तर पर समारोह का अयोजन कर जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर करने वाले डाक्टरों को सम्मानित भी किया जाता है। डाक्टर बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी इस दिवस के लिए आये हैं, जिन्हें भगवान के रूप देखा जाता है। राष्ट्रीय डाक्टर दिवस के मौके पर दैनिक अखबार 'राष्ट्रीय नवीन मेल' इसके लिए आये हैं।

वाले डाक्टरों के विचारों के साथ एक विशेष परिशिष्ट प्रकाशित कर रहा है। प्रस्तुत है डाक्टरों के निजी विचार।

मरीजों की सेवा ईश्वर की सेवा है : डॉ. रघुवंश नारायण सिंह

शहर के सीनियर सर्जन डॉ. रघुवंश नारायण सिंह ने कहा कि चिकित्सा सेवा भगवान के रूप दिया हुआ अनमोल सेवा है। जो लोगों ने भी चिकित्सा सेवा में हैं उनको पूरी इमानदारी से अपना पेशा करना चाहिए। जब तक मरीजों का विश्वास डाक्टर के प्रति नहीं बढ़ेगा तब तक एक सफल चिकित्सक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह पिछले कई दशकों से पलायू में सर्जन के रूप में सेवा दे रहे हैं। मरीजों को हमेशा वैश्वर का सेवा मान कर इलाज करते हैं।



मरीज को संतुष्ट करना पहला उद्देश्य : डॉ. अरुण कु. शुक्ला

शहर के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण कुमार शुक्ला ने कहा कि मरीजों को भगवान का रूप मान कर वह सेवा करते हैं। वह पिछले 40 सालों से मरीजों को अपनी कर्म भूमि मान कर डाक्टरी पेशा कर रहे हैं। मरीज का इलाज करने के बाद उनका फलाना उद्देश्य होता है कि मरीज उनके यांत्रों से संतुष्ट होकर जाए। मरीजों की संतुष्टि ही डाक्टर का असली प्रमाण प्रति होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डाक्टर दिवस मनाने का साथ अच्छा व्यवहार करें। मरीजों को हर प्रकार से स्वयंगम करें। मरीज को यह कर्मी हेलोसास नहीं हो सकता है कि वह डाक्टर के पास अकर गलती कर दिया।



पेशा की गरिमा को बनाए रखें : डॉ. कादिर परवेज

एम्प्रीसीएच में सीनियर सर्जन डॉ. कादिर परवेज ने कहा कि चिकित्सा सेवा को भगवान के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय डाक्टर दिवस मनाने की परिपारा अच्छी है। डाक्टरों को मरीजों का सेवा समर्पण भाव से करना चाहिए। मरीजों को संतुष्ट करना डाक्टरों का पहला मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीज व डाक्टरों के बीच परिवार की तरह व्यवहार होना चाहिए। डाक्टर का पेशा पहले मरीज का सेवा करता है। इस बात को हर डाक्टर को समझना होगा। डाक्टरों को ज्यादातर प्रयास करना होगा कि अपनी को काम से कम खर्च में इलाज का नियम बनाए। डाक्टर दिवस मनाने का मकसद तभी सार्थक होगा जब मरीजों का विश्वास डाक्टरों का बढ़ेगा।



मरीजों की बेहतर सेवा करना लक्ष्य : डॉ. राजेश कुमार

शहर खात्री प्राच जेनरल फिजिशियन डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय डाक्टर दिवस मनाने का मकसद है सभी डाक्टरों के अंदर सेवा भाव की भावाना को काम से बदलना। डाक्टर दिवस हर साल एक जुलाई को अंदर सेवा भाव की भावाना को उत्तरायन दर्शाया रखता है। यह दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि डॉ. विधान चंद्र राय अपने पूरे जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं औंडाकर सिफर मरीजों के रोग का नियन करते थे। हम सभी डाक्टरों को भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मरीजों का सेवा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डाक्टर दिवस के परिजनों को भी धैर्य के साथ काम लेने की जरूरत है। डाक्टरों पर अपरेप्रत्यारोगों का दौर नहीं होना चाहिए। इस डाक्टरों का मोबाइल पर असर पड़ता है। हमेशा अपने मरीजों को स्वस्थ करने का प्रयास करता है।

इस बात को हर डाक्टर को समझना होगा। डाक्टरों को ज्यादातर प्रयास करना होगा कि अपनी को काम से कम खर्च में इलाज का नियम बनाए। डाक्टर दिवस मनाने का मकसद तभी सार्थक होगा। जब मरीजों का विश्वास डाक्टरों का बढ़ेगा।



प्रिय मित्रों,

डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर, मैं उन सभी समर्पित डाक्टरों के प्रति धैर्य और अधारिक आधार करता हूं जो जीवन बदलने और हमारे समृद्धय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अथक प्रयास करते हैं। अपकी अटूट प्रतिवद्धता और नियार्थी सेवा के रूप में सराहनीय है। गंभीर देखभाल सेवाओं के संरक्षण के रूप में, मैंने अपने सहयोगियों द्वारा किए गए असाधारण प्रयासों को देखा है, खासकर चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। अपका लंबालापन और करुणा हम सभी के लिए प्रेरणा है। आइए हम अपने विश्वासों को समझना और साधारण करना जीवन में खेड़े हैं। हम सब मिलकर एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बना सकते हैं।

हैपी डॉक्टर्स डे



डॉक्टर्स डे के अवसर पर हमारे विशेष संवाददाता ने मेडिका के विभिन्न विभागों के डाक्टरों से बात की

डॉक्टर दिवस पर, हम उन सभी डाक्टरों के समर्पण और बलिदान का समान और सराहना करते हैं जो दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं।



डॉ ऑंकार कुमार झा
सलाहकार - पल्मोनोलॉजी,
पारस एचसी अस्पताल, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभाग,
मेडिका, रंची।

डॉ रघुवंश नारायण सिंह
प्रमुख, इमरजेंसी विभ